न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद पत्र सं0 : 16 सन 2018

अनवान :-

1. गोरधन पुत्र रामकुमार जाति ब्रहाम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. प्रेमप्रकाश पुत्र रामकुमार जाति ब्रहाम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर ।
2. दुर्गादेवी पत्नी मंगतुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर ।
3. जुगलकिशोर 4 राकेश 5 शारदा 6 मीरा 7 नीतू पुत्र व पुत्रीया मंगतुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. संतोष उर्फ संतरों 9. चन्द्रकला 10 लिछमा 11 कमला पुत्र व पुत्रीया रामकुमार जाति ब्रहाम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

<u>दावा खाता तकसीम अन्तर्गत धारा 53 ,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अभिभाषक, वादी

निर्णय दिनांक :- 18/01/2022

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की वादी व प्रतिवादीगण की रोही मौजा मंदरपुरा के खसरा न0 267/9.2440 , 228/3.3890 ,खसरा न0 268/9.3580 , 325/0.5670 ,कुल 9.9270हैक्ट में से 90 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादीगण की शामिल खाते की भूमि है।

वाद भूमि में खसरा न0 267 का वादी एव प्रतिवादीगण ने अपनी माता परमेश्वरी के जीवनकाल में खाता विभाजन करवा कर चार भागों में विभाजन कर लिया था लेकिन अब उनकी माता का देहान्त हो गया है इसलिये उक्त भूमि का बाहगी बटवारा कर तीनों भाईयों ने तीन भागों में बंटवारा कर लिया है जिसके मुताबिक खसरा न0 267/1 की 4.22हैक्ट मंगतुराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के पास रहेगी इसके चिपते हुए प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के दक्षिण में खसरा न0 267/2 की 4.22हैक्ट गोरधन के पास रहेगी तथ इसके दक्षिण में खसरा न0 267/3 की 0.804हैक्ट भूमि प्रेमकुमार के पास रहेगी तथा खसरा न0 268 की 9.3580हैक्ट ,3216/0.5680हैक्ट कुल 9.9270हैक्ट मं से वादी व प्रतिवादीगण के नाम से 80 हिस्सा अकेले प्रेमकुमार के पास तथा खसरा न0 268 में वादी व प्रतिवादीगण के नाम 180 हिस्सा भूमि भी प्रेमकुमार के पास रहेगी इसी घरू बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान दर्ज करवाना चाहते है।

उक्तानुसार बाहमी बटवारा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य काफी समय पूर्व से हो चुका है किन्तु राजस्व रिकार्ड में बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिसे दर्ज करवाने के आदेश फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जो सुनवाई का अवसर दिया जाकर वाद वादी दिनांक 24.07.2019 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 338/185 की कुल 9.9270हैक्ट भूमि जो मंगतुराम गोर्वधन प्रेमकुमार पि0 रामकुमार परमेश्वरी पत्नि रामकुमार के नाम से बहिब 90 हिस्सा दर्ज है में मंगतुराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 एवं गोर्वधन प्रेमकुमार व परमेश्वरी के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,8 ता 11 व प्रेमकुमार अपने हक हिस्सा के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु आदेशीत किया गया।

वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किये जाने के उपरान्त वादी एव प्रतिवादीगण ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजीनामा किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

जो पत्रावली में शामिल है वादी ने वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया राजीनामा शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की रोही मौजा मन्दपुरा के खाता संख्या 338/395 के खसरा न0 267/1 की कुल 2.3140हैक्ट भूमि मंगतूराम पुत्र रामकुमार के नाम से दर्ज है तथा खसरा न0 267/2 की 2.3140हैक्ट भूमि गोर्वधन पुत्र रामकुमार के नाम से दर्ज है इसीप्रकार खसरा न0 267/3 की 2.3140हैक्ट भूमि प्रेमकुमार के नाम से दर्ज है खसरा न0 267/4 की 2.3020हैक्ट भूमि परमेश्वरी पत्नी स्व रामकुमार के नाम से दर्ज है तथा खाता संख्या 338/185 की कुल 9.9270हैक्ट भूमि में सयुक्त खाता में मंगतुराम गोर्वधन प्रेमप्रकाश पि0 रामकुमार के बहिब 90 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा 472/422 के खसरा न0 228 की कुल 3.3880हैक्ट भूमि रोशनी पत्नी प्रेमप्रकाश , मंगतुराम गोर्वधन प्रेमप्रकाश पि0 रामकुमार परमेश्वरी पत्नि रामकुमार बहिब 180 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वादभूमि पूर्व में रामकुमार पुत्र गुगनराम के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है तथा उनकी पत्नी परमेश्वरी का भी देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी प्रतिवादी संख्या 1, मगतुराम सन्तोष उर्फ सन्तरो चन्द्रकला लिछमा कमला है जिसमें से मगतुराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान पत्नी दुर्गा पुत्र जुगलकिशोर राकेश कुमार , शारदा, मीरा नीतु है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने आपसी सहमति से वाद भूमि व अन्य भूमियों की काश्त सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 , एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में कर दिया अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका आपसी सहमति से राजीनामा किया जाकर बटवारा किया हुआ है अपने बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया वादी एवं प्रतिवादीगण सयुक्त खातेदार है जो अपने बाहमी बटवारा के अनुसार खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवाना चाहते है आपसी सहमति राजीनामा के अनुसार वाद भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयों के अनुसार रोही मौजा मन्दपुरा के खाता संख्या 338/395 के खसरा न0 267/1 की कुल 2.3140हैक्ट भूमि मंगतूराम पुत्र रामकुमार के नाम से दर्ज है तथा खसरा न0 267/2 की 2.3140हैक्ट भूमि गोर्वधन पुत्र रामकुमार के नाम से दर्ज है इसीप्रकार खसरा न0 267/3 की 2.3140हैक्ट भूमि प्रेमकुमार के नाम से दर्ज है खसरा न0 267/4 की 2.3020हैक्ट भूमि परमेश्वरी पत्नी स्व रामकुमार के नाम से दर्ज है तथा खाता संख्या 338/185 की कुल 9.9270हैक्ट भूमि में सयुक्त खाता में मंगतुराम गोर्वधन प्रेमप्रकाश पि0 रामकुमार के बहिब 90 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा 472/422 के खसरा न0 228 की कुल 3.3880हैक्ट भूमि रोशनी पत्नी प्रेमप्रकाश , मंगतुराम गोर्वधन प्रेमप्रकाश पि0 रामकुमार परमेश्वरी पत्नि रामकुमार बहिब 180 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वादी का कथन है कि वादभूमि पूर्व में रामकुमार पुत्र गुगनराम के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है तथा उनकी पत्नी परमेश्वरी का भी देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी प्रतिवादी संख्या 1, मगतुराम सन्तोष उर्फ सन्तरो चन्द्रकला लिछमा कमला है जिसमें से मगतुराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान पत्नी दुर्गा पुत्र जुगलकिशोर राकेश कुमार , शारदा, मीरा नीतु है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने आपसी सहमति से वाद भूमि व अन्य भूमियों की काश्त सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 , एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में कर दिया वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हको का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि जिसे उनके बाहमी बटवारा/राजीनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो को समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करवाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 116 ,251 ,274 एवं खाता संख्या 245 को सम्मिलित करते हुए निम्नप्रकार से डिक्री किया जाता है गोरधन पुत्र रामकुमार के पास रोही मोजा मन्दरपुरा के खसरा न0 267/2 की 4.219हैक भूमि रहेगी जुगलकिशोर राकेश पि0 मंगतुराम , दुर्गादेवी पत्नी मंगतुराम बहिब के पास रोही मोजा मन्दपुरा के खसरा न0 267/1 की 4.220हैक भूमि रहेगी एवं प्रेमप्रकाश पुत्र रामकुमार के पास रोही मोजा मन्दरपुरा के खसरान0 267/3 की 0.805हैक भूमि रहेगी एवं खाता संख्या 343 एव 477 में वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम दर्ज भूमि प्रेमप्रकाश के पास रहेगी मृतक परमेश्वरी का नाम कलमजन किया जाता हैइसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/01/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा–डिक्री

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)
पीठासीन अधिकारी का नाम : **श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)**

अनवान :–

1. गोरधन पुत्र रामकुमार जाति ब्रहाम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
वादी

बनाम

1 प्रेमप्रकाश पुत्र रामकुमार जाति ब्रहाम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर ।
2. दुर्गादेवी पत्नी मंगतुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर ।
3. जुगलकिशोर 4 राकेश 5 शारदा 6 मीरा 7 नीतू पुत्र व पुत्रीया मंगतुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. संतोष उर्फ संतरों 9. चन्द्रकला 10 लिछमा 11 कमला पुत्र व पुत्रीया रामकुमार जाति ब्रहाम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या 16 सन 2018 निर्णय दिनांक 18/01/2022

वाद अन्तर्गत धारा .88 53. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 116 ,251 ,274 एवं खाता संख्या 245 को सम्मिलित करते हुए निम्नप्रकार से डिक्री किया जाता है गोरधन पुत्र रामकुमार के पास रोही मोजा मन्दरपुरा के खसरा न0 267/2 की 4.219हैक्‍ भूमि रहेगी जुगलकिशोर राकेश पि0 मंगतुराम , दुर्गादेवी पत्नी मंगतुराम बहिव के पास रोही मोजा मन्दपुरा के खसरा न0 267/1 की 4.220हैक्‍ भूमि रहेगी एवं प्रेमप्रकाश पुत्र रामकुमार के पास रोही मोजा मन्दरपुरा के खरारान0 267/3 की 0.805हैक्‍ भूमि रहेगी एवं खाता संख्या 343 एव 477 में वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम दर्ज भूमि प्रेमप्रकाश के पास रहेगी मृतक परमेश्वरी का नाम कलमजन किया जाता हैइसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner